म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कं. / भा0भु0यो0 / कृ.प्रो.यो. / 03–प्याज / 2019 / 3928 भोपाल, दिनांक 28 मई, 2019

प्रति

आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग
विंध्याचल भवन भोपाल

विषय :– मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में कृषको द्वारा विक्रय की जाने वाली प्याज के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ :– प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग ज्ञाप क्रमांक एफ 6–1 / 2018 / 58 भोपाल दिनांक 30 मार्च 2019

मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत योजना के बिन्दु क्रमांक 2.13 में पंजीकृत कृषक द्वारा प्रदेश की चयनित अधिसूचित मंडियों में प्याज विक्रय करने पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त प्रमाण पत्र का प्रस्तावित प्रारूप संलग्न है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्तानुसार प्रमाणपत्र का प्रारूप अनुमोदित कर उसकी मुद्रित प्रतियॉ विक्रय हेतु अधिसूचित कृषि उपज मंडी समितियों को दिनांक 29.5.2019 तक उपलब्ध कराने हेतु संबधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे प्याज विक्रय दिनांक 01 जून 2019 से कृषको को विक्रय उपरांत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सके।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (भा.भु.यो.)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

कं. / भा0भु0यो0 / कृ.प्रो.यो. / 03–प्याज / 2019 / 3929 भोपाल, दिनांक 28 मई, 2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।
2. कलेक्टर जिला – .... (समस्त)
3. संयुक्त / उप संचालक,म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)
4. भारसाधक अधिकारी / सचिव कृषि उपज मंडी समिति ....जिला..............(समस्त)

अपर संचालक (भा.भु.यो.)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

Scanned by CamScanner

कृषि उपज मंडी समिति –............ जिला – ....

क्रमांक /   दिनांक   /   / 2019

मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत विक्रय प्रमाण–पत्र

मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पंजीकृत कृषक श्री .... ग्राम .... पंजीयन क्रमांक .... द्वारा प्याज .... क्विंटल (कुल मात्रा) घोष नीलामी में रूपयें ..../– प्रति क्विंटल की दर से मंडी के अनुज्ञप्तिधारी फर्म .... अनुज्ञप्ति क्रमांक .... को कृषि उपज मंडी समिति ....जिला .... में दिनांक / /2019 को विक्रय की गई है। जिन्हें मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में पात्रतानुसार तथा योजना के प्रावधानों के अनुरूप परीक्षण उपरांत, गणना उपरांत अंतर की राशि म.प्र. शासन द्वारा कृषक के पंजीकृत बैंक खाते में योजनावधि समाप्त होने के उपरांत जमा कराई जायेगी। उक्त राशि पंजीकरण प्रमाणित होने पर, जिला अधिकारी के द्वारा घोषित फसल तथा बोये गये रकबे का राजस्व अमले के द्वारा भौतिक सत्यापन सही पाये जाने पर तथा योजना में प्रोत्साहन राशि देय होने की स्थिति में ही भुगतान की जायेगी।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
.... जिला ....

आवश्यक निर्देश :–

(1) कृपया उक्त प्रमाण पत्र तथा अनुबंध पत्र/तौल पर्ची तथा भुगतान पत्रक को सुरक्षित रखें।

(2) किसान भाई प्रदेश की चयनित/अधिसूचित मंडी में अपनी उपज (प्याज) मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत का विक्रय कर सकते है।

Scanned by CamScanner